



मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर MOHANLAL SUKHDIA UNIVERSITY, UDAIPUR

क्रमांक : मोलासुविवि : गोपनीय / 2019 / 1033

दिनांक : 06.02.2019



परीक्षार्थियों से अपील

विश्वविद्यालय के 2 लाख परीक्षार्थियों की मुख्य परीक्षाएँ दिनांक 15 फरवरी, 2019 शुक्रवार से प्रारम्भ होने जा रही हैं। इन परीक्षाओं के संदर्भ में मेरा संदेश है कि :-

किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा में अनुचित साधनों यथा – नकल करना, संकेतों अथवा बातचीत के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयत्न करना, परीक्षा संचालन से जुड़े किसी कार्मिक से परीक्षक का नाम जानने की कोशिश करना अथवा परीक्षक से संभावित प्रश्न पत्र जानने का प्रयास करना इत्यादि से विरत/दूरी बनाए रखना चाहिए। इसी प्रकार परीक्षा का बहिष्कार अथवा बहिर्गमन, इनमें संलिप्त होना अथवा अन्य परीक्षार्थियों को इस हेतु दुष्प्रेरण, परीक्षा सामग्री को छीनना अथवा नष्ट करना, परिवीक्षक अथवा अन्य परीक्षार्थियों के साथ अशिष्ट, अशोभनीय अथवा अमर्यादित व्यवहार एवं हिंसा और परीक्षा हेतु निर्धारित नियमों, प्रावधानों तथा प्राधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन परीक्षा संबंधी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं एवं इस हेतु संबंधित परीक्षार्थी को दण्डित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बहिष्कार की स्थिति में पुनः परीक्षा कराने का प्रावधान भी नहीं है। नकल तथा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 1992 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के अतिरिक्त प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी भी सक्षम हैं तथा इसमें दोष सिद्ध होने पर अर्थदण्ड एवं कारावास का प्रावधान है।

हर वर्ष में अनेक परीक्षार्थियों का अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी पाया गया तथा दण्ड स्वरूप उनकी वर्तमान परीक्षा निरस्त करने के साथ उन्हें आगे की परीक्षाओं से वंचित करने का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया है। इस पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कठोर कदम के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। अतः छात्रों से अनुरोध है कि किसी भी स्थिति में अनुचित साधनों का उपयोग न करें।

विगत वर्षों में यह देखा गया है कि छात्र अपनी उत्तरपुस्तिका, OMR पर अपने रोल नम्बर, पेपर कोड इत्यादि का इन्द्राज गलत कर देते हैं व OMR में गोले गलत कर देते हैं। जिससे परीक्षा परिणाम तैयार करते समय Scanning गलत होती है तथा छात्र का परिणाम प्रभावित होता है या घोषित नहीं हो पाता है। अतः छात्र अपना रोल नम्बर, पेपर कोड इत्यादि का उत्तरपुस्तिका में इन्द्राज कर स्वयं पुनः जाँच कर सुनिश्चित कर लेवें। साथ ही प्रश्नपत्रों के संबंध में यदि कोई शिकायत हो तो निर्धारित अवधि में संबंधित परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक को लिखित रूप से अवगत करावें ताकि विश्वविद्यालय की समुपयुक्त समिति द्वारा उक्त शिकायतों पर समुचित निर्णय लिया जा सके। विश्वविद्यालय प्रशासन समस्त वास्तविक शिकायतों के सन्तोषप्रद निराकरण की दिशा में सदैव तत्पर है।

अन्त में मैं परीक्षार्थियों की सफलता की कामना करते हुए उनसे यह अपेक्षा करता हूँ कि परीक्षा में सम्मिलित होने के दौरान वे कोई ऐसा अनुचित कृत्य अथवा आचरण नहीं करेंगे जो उनकी, उनके परिवार की तथा उनके विश्वविद्यालय की गौरव-गरिमा एवं मान-मर्यादा के प्रतिकूल हो।

शुभकामनाओं सहित,

प्रो. जे. पी. शर्मा
कुलपति

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवध्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्पादक को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इसे दो कॉलम में न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करें। न्यूनतम स्थान एवं दो कॉलम में प्रकाशित नहीं करने पर बिल का भुगतान निर्धारित दर से ही किया जावेगा। बिल तीन प्रतियों में वित्त नियंत्रक, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर के नाम समय विज्ञापन सामग्री के प्रेषित करें।
2. समस्त अधिष्ठता/प्राचार्य/निदशक..... |
3. वित्त नियंत्रक, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
4. प्रभारी जनपद विभाग, राजस्थान विद्यापीठ, कोलपोल, उदयपुर बड़ा बाजार, उदयपुर को भेजकर लेख है कि इस सूचना को लिखित में तथा सूचना में प्रसारित करें।

परीक्षा नियन्त्रक